(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में लड़कियों और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सामूहिक बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए नया कानून बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एन सी आर बी सामूहिक बलात्कार की घटनाओं से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान देश में बलात्कार के अपराध के कुल क्रमश: 21, 467, 21, 397 और 22, 172 मामले सूचित किए गए हैं।**

**सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।**